

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-प्रारं/नियु प्रको./नियु-2/982/शिक्षक भर्ती-2018/लेवल-प्रथम/2018

दिनांक:-12.04.2018

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018

अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल-प्रथम

विज्ञापन संख्या-02/2018

Website : www.education.rajasthan.gov.in/elementary

Email ID : niyukti.etc@gmail.com

फोन नं. 0151-2207047

- 1- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-प्रथम कक्षा 1 से 5 के 5503 पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों के पदों की रिक्तियों के लिए राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी ही पात्र होंगे।
- 2- अध्यापक लेवल-प्रथम के पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-प्रथम, सामान्य शिक्षा	5431
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-प्रथम, विशेष शिक्षा	72

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) की रिक्तियों का जिलेवार विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर जारी किया जा रहा है। अभ्यर्थी <http://sso.rajasthan.gov.in> वेबसाईट पर दिनांक 14/04/2018 से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

- 3- ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि- दिनांक 14/04/2018 से दिनांक 30/04/2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 4- सामान्य सूचना :-

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 लेवल-प्रथम की वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) के लेवल प्रथम में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा, परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा, परन्तु अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।
 2. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) में पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा एवं ना ही अंकों में छूट का लाभ देय होगा, इस वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
 3. Online Application Form में वांछित समस्त सूचनाएँ अनिवार्यतः अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन Submit होने के पश्चात उस आवेदन के क्रम में आवेदित पद एवं आवेदित श्रेणी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा, यदि आवेदन में संशोधन अपेक्षित हो तो उसे ऑन-लाईन नया आवेदन पत्र भरना होगा। साथ ही आवेदन Submit होने की सुनिश्चिता कर लें।
 4. आवेदक द्वारा प्रथम स्तर में एक से ज्यादा आवेदन पत्र भरने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा।
 5. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध Preference (प्राथमिकता) देनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को जिलेवार विकल्प सूची में शामिल होने के लिये अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के 05 जिलों की वरीयता दे सकेंगे। आशार्थियों द्वारा आवेदन में भरे गये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET- 2015, 2017 एवं RTET 2011, 2012) के चारों वर्षों की परीक्षाओं के अधिकतम प्राप्तियों के आधार पर राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 के संशोधित परिणाम के अनुसार अंक मान्य होंगे, यदि किसी आशार्थी के पास आरटेट-2011 के संशोधित परिणाम की अंकतालिका नहीं है तो वह सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से संशोधित अंकतालिका प्राप्त कर ही इस भर्ती हेतु आवेदन करें।
 6. अध्यापक लेवल-प्रथम हेतु वांछित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित, आरटेट/रीट के लेवल-प्रथम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
 7. विभाग द्वारा विज्ञापित जिलेवार पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए पृथक से कोई विज्ञापित जारी नहीं की जावेगी।
 10. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधधीन परिवर्तनीय होगी।
 11. इच्छुक आवेदक को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा।
 12. किसी भी परिस्थिति में आवेदक का ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 13. यदि कोई आवेदन जानबूझ कर असत्य सूचनाएँ अंकित करेगा या कोई तथ्य/पूर्ण बात छिपाएगा तो उसे अपात्र घोषित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 5- ऑन-लाईन आवेदन प्रक्रिया :- राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-प्रथम पद पर आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा, यदि अभ्यर्थी की SSO ID पूर्व में बनी हुई है तो उसी ID से आवेदन कर सकता है अन्यथा उक्त वेबसाईट पर Not a registered user पर क्लिक कर पंजीयन करवाये। पंजीयन करवाने के पश्चात् SSO ID एवं पासवर्ड से लॉगिन किये जाने पर ऑनलाईन वेबसाईट <http://sso.rajasthan.gov.in> पर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदक आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भर सकते हैं अथवा आवेदक स्वयं भी ऑन-लाईन आवेदन पत्र भर सकता है। आवेदन पत्र भरने वाले प्रत्येक आवेदक (चाहे आवेदक स्वयं ऑन-लाईन आवेदन करें या ई-मित्र से ऑन-लाईन करावें) को निर्धारित तिथियों में आवेदन शुल्क + रूपये 30/- (ई-मित्र फिस) जमा करवाना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।
 - 6- जिलेवार पद :- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के विज्ञापित पदों का जिलेवार विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर उपलब्ध है।
 - 7- आरक्षण :- नियुक्ति के संबंध में आरक्षण का प्रावधान इस विज्ञापित के बिन्दु संख्या 11.2 पर उल्लेखित है।

- 8- **वेतनमान:-** राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 286 के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 16 की अनुसूची (iv) के अनुसार परिवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रुपये 23700/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायतीराज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमित वेतनमान लेवल 10 के अनुसार देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.13(1)एफडी/रूल्स/03 (पेंशन 5/05) दिनांक 02.08.2005 के अनुसार नयी भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना का प्रावधान है।

9- **अध्यापक पद पर सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत लेवल-प्रथम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ:-**

राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 266 में उल्लेखित योग्यताओं के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 एवं 29, जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना में वर्णितानुसार न्यूनतम योग्यताएँ एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-

9.1 कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए (सामान्य शिक्षा):-

A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulation, 2002.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक(बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).

अथवा

स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो।)

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

तथा

B. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट/रीट) लेवल-प्रथम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

स्पष्टीकरण:- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती- 2018 लेवल प्रथम हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) के लेवल प्रथम में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा, परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा, परन्तु अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।

9.2 कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए (विशेष शिक्षा):-

A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (Special Education) (by whatever name known).

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (Special Education) (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulation, 2002.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक(विशेष शिक्षा) (बी. एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (Special Education) (B.El.Ed).

अथवा

स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो।)

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (Special Education) (by whatever name known).

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education) (by whatever name known).

तथा

B. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट/रीट) लेवल-प्रथम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

स्पष्टीकरण:- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती- 2018 लेवल प्रथम हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) के लेवल प्रथम में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा, परन्तु अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।

- 9.3 **अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा:-** इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।
- 9.4 **विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण-** वह व्यक्ति, जिसने डी.एड (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महिने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 9.5 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2011 के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)ई.ई./प्लान/2011 दिनांक 17 जून, 2011 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 16.09.2013 के अनुसार निम्न अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 में भाग लेने हेतु पात्र होंगे-
 - (i) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उन्हें सीनियर सैकण्डरी स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता नहीं है।
 - (ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 जारी होने के बाद परन्तु अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें सीनियर सैकण्डरी स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।
 - (iii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें सीनियर सैकण्डरी स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।
- 9.6 बिन्दु संख्या 9.1 A व 9.2 A में वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के मापदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट संख्या 10182/2012 राजरानी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2012 की पालना में सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में 5 प्रतिशत अंक छूट के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर डीबी सिविल रिट संख्या 1022/2013 में उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित निर्णय के अध्याधीन उनका चयन रहेगा किन्तु अन्तिम निर्णय होने तक उनकी नियुक्ति नहीं की जावेगी।
- 9.7 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे अन्य अभ्यर्थियों के समान ही पात्र होंगे।
- 9.8 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएँ (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है।

10- नियुक्ति हेतु निरर्हता :-

- i. राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 01.08.2002 को या इसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हैं, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 1 जून 2002 को थी, में वृद्धि न हो, परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संतानें एक समझी जायेगी।
- ii. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
- iii. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
- iv. यदि अभ्यर्थी-(a) अच्छे चरित्र का नहीं है, या (b) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या (d) किसी पंचायती राज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- v. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण:-

इस नियम के प्रयोजन के लिए "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961 (1961 को केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।

नोट- उपरोक्त तथ्यों को छुपाने पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा वह विभागीय/कानूनी कार्यवाही का स्वयं उत्तरदायी होगा।

11- नियुक्ति हेतु -

11.1 आयु सीमा :-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-प्रथम पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष से अन्तः 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिये, परन्तु यह है कि जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष आयु की दृष्टि से पात्र था, जो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 03 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी अर्थात् तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के पूर्ववर्ती वर्षों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-प्रथम के पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2016 में विज्ञापन जारी कर आवेदन-पत्र प्राप्ति की

अन्तिम दिनांक 01.08.2016 रखी जाकर आयु की गणना दिनांक 01.01.2017 को की गई थी अतः उक्त प्रावधान के तहत अधिकतम आयु में एक वर्ष तक की छूट देय होगी।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है:-

- i. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- ii. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी क्षेत्र) में पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- iii. राजस्थान राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
- iv. राजस्थान राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- v. राजस्थान राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, 03 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।
- vi. राजस्थान राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवाषिकी आयु प्राप्त तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण : उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल तलाक का सबूत देना होगा।
- vii. राजस्थान राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद् के अधीन अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।
- viii. ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में जो उसकी दोष सिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समिति व जिला परिषद् के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र हो उस पर अधिवाषिकी आयु सीमा तक ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।
- ix. ऐसे भूतपूर्व कैदी जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, कारावास की अवधि के बाबत कालावधि तक नियमानुसार शिथिलन देय है।
- x. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार अनारक्षित पदों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- xi. राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियम 39 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।
नोट :-उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से x तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

11.2 आरक्षण प्रावधान :

- (i) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग कि अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।
स्पष्टीकरण : "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 01-जनवरी-1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता-पिता/पूर्वज 01-जनवरी-1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं"
- (ii) उपरोक्त पदों में राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन/ भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/महिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं सहित) अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
- (iii) राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी क्षेत्र) में पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इस वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- (iv) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में सगणित नहीं किया जायेगा।
- (v) अध्यापक सीधी भर्ती 2018 में 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये तथा 2.00 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षण दण्डवत होगा एवं अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग का है वह उसी प्रवर्ग का माना जावेगा।

स्पष्टीकरण:-

(क) भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान - The Rajasthan Civil Services (Absorption of Exservicemen) Rules, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा निम्नानुसार है :-

भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थल सेना, जल सेना, वायु सेना के किसी भी रैंक में योद्धक या योद्धक-भिन्न के रूप में सेवा की हो और

(i) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत्त हुआ हो, या

(ii) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिए निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से रहे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य निर्योग्यता पेंशन प्रदान की गई हो, या

(iii) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा, संस्थापन में कटौती के परिणाम स्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या

(iv) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवान्युक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवा नियुक्ति उपदान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक, थल सेना के निम्नलिखित प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित है, अर्थात् :-

- (a) लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेंशनधारक,
- (b) सैन्य सेवा के लिए निर्धारित नियोग्यता वाले व्यक्ति,
- (c) वीरता पुरस्कार विजेता

विशेष नोट:- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सर्विस (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में निम्न अतिरिक्त प्रावधानों का भी ध्यान रखें-

1. अभ्यर्थी का स्वयं भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है, न कि उसका आश्रित या संबंधी होना।
2. आवेदन की अन्तिम तिथि को उसका वस्तुतः सेवानिवृत्त होना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी को केवल विभाग से आवेदन हेतु अनुमति ही नहीं मिली है, बल्कि उसे सेवानिवृत्त भी किया जा चुका है।
3. किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रारिथिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा।
4. ऐसा 'भूतपूर्व सैनिक लोकसेवक' अन्य लोक सेवकों को सामान्य स्थिति में अनुज्ञात आयु आदि की शिथिलता जैसे लाभ प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा।
5. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी निजी कंपनी में नियोजन प्राप्त करता है अथवा किसी स्वायत्तशासी संस्था, सार्वजनिक उपक्रम या राजकीय कार्यालय में आकस्मिक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर नियोजन प्राप्त करता है तो उसे इस प्रयोजन हेतु लोक सेवक के रूप में एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सेवा से कर्मचारी को कभी भी हटाया जा सकता है।
6. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक, देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर, किसी एक लोक सेवा में पुनर्नियोजन स्वीकार करता है और उससे पूर्व उसने अन्य किसी पद की भर्ती हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है, तो उसे अपने सेवा नियंत्रक अधिकारी को ऐसे किए हुए आवेदनों की दिनांकवार पूर्ण सूचना/स्वघोषणा कार्यग्रहण के साथ ही प्रस्तुत कर देने की स्थिति में, ऐसे कार्यग्रहण से पूर्व किए हुए आवेदनों के संबंध में भी भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ देय होगा।

(ख) उत्कृष्ट खिलाड़ियों संबंधित प्रावधान- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15-03-2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने:-

- (अ) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या
- (ब) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या
- (स) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या
- (द) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिशः स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

नोट-यहां यह ध्यान दें कि यदि किसी अभ्यर्थी ने जान-बूझकर बिना साक्ष्य सहित गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

(iii) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये :-

- (अ) राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
- (ब) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) होगा अर्थात् अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का होगा उसे उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।
- (स) विशेष योग्यजन आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजनता की श्रेणी विशेष का उल्लेख अवश्य करें।
- (द) ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजनता के संबंध में राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित प्रक्रिया से प्रदत्त विशेष योग्यजनता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विशेष योग्यजनता का प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजनता का होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।
- (य) इस श्रेणी में आरक्षण हेतु केवल स्थाई विशेष योग्यजनता को ही मान्य किया जाता है, अस्थाई विशेष योग्यजनता को नहीं।
- (र) विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने या किसी भी पर्याप्त कारण के पद भरा नहीं जा सकता हो, वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा, परन्तु पद सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।

(iv) विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) रखे जाने का प्रावधान है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, उसी में समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:-

- अ). किसी वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सामान्य प्रक्रियानुसार भरा जा सकेगा।
- ब). महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) के लिये आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। किसी वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त

विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के वरीयता प्राप्त अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

- स). मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी, जो राजस्थान राज्य अनुसूचित क्षेत्र के स्थाई निवासी हैं, से ही भरे जावेंगे।
- (vii) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार भरा नहीं जाकर आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।
- (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।
- (ix) विधवा महिला/विवाह-विच्छिन्न की डिक्री/विशेष योग्यजन वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।
- (x) विवाह-विच्छिन्न महिला के अन्तर्गत लाभ तभी देय होगा, यदि उसे सक्षम न्यायालय अथवा विधि द्वारा इस हेतु आदेशित किया जा चुका हो। “विधवा महिला को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को पुनर्विवाह नहीं किये जाने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।”
- (xi) भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

12. आवेदन शुल्क :-

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से जमा करायेंगे।

- (क) राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 100/-
(ख) राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 70/-
(ग) राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - रुपये 60/-

नोट:-

- ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/04/2018 है, अतः अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा में आवेदन करें।
- अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञापित के अनुच्छेद-9 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद वापस नहीं लौटाया जायेगा।

13. भर्ती प्रक्रिया :-

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती, 2018 लेवल-प्रथम की वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) लेवल-प्रथम में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा, परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा, परन्तु अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेड 2011 के संबंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।
- आशार्थियों द्वारा आवेदन में भरे गये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET- 2015, 2017 एवं RTET 2011, 2012) के चारों वर्षों की परीक्षाओं के अधिकतम प्राप्तांकों के आधार पर राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 के संशोधित परिणाम के अनुसार अंक मान्य होंगे, यदि किसी आशार्थी के पास आरटेड-2011 के संशोधित परिणाम की अंकतालिका नहीं है तो वह सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से संशोधित अंकतालिका प्राप्त कर ही इस भर्ती हेतु आवेदन करें।
- अभ्यर्थियों को मैरिट अनुसार उनके द्वारा दी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम के आधार पर जिला आवंटन कर जिलेवार सूची नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषदों को भेजी जायेगी। जिला परिषदों द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता एवं दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात मैरिट के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- राज्य स्तरीय मैरिट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) के लेवल-प्रथम के अधिकतम प्राप्तांकों के आधार पर दशमलव के दो अंकों तक तैयार की जायेगी।

नोट:-

समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात् दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी। जन्म तिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जायेगी।

14.अन्य आवश्यक निर्देश/सूचना

1. अभ्यर्थियों को उनके द्वारा RTET/REET परीक्षा/परीक्षाओं के नामांक एवं उत्तीर्णांक इत्यादि की सूचना आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से देनी अनिवार्य होगी।
2. ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा, अतः अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना विज्ञप्ति प्रकाशित होने के साथ ही समय सीमा में आवेदन करें।
3. आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही बरीयता सूची बनायी जावेगी। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जांच नहीं की गई है, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
4. पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच का एक अवसर देने के बाद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.8(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
6. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
7. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
8. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15.अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

15.1 आवेदक द्वारा घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री(नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैंने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के संबंधित भर्ती नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित प्रतियोगी/पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
4. (अ)किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में प्रतिवेदन भेजूँगा/भेजूँगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
(ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर निदेशालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता/रखती हूँ।
6. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
7. मैं डाऊनलोड किया हुआ आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूँगा/रखूँगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/दूँगी।
8. मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
9. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
10. मुझे यह जानकारी है कि मैं REET/RTET में पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एस.टी.सी./समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती हेतु पात्र माना जाऊँगा/ जाऊँगी।
11. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :
फोन नम्बर मय कोड :
मोबाईल नम्बर :

नाम :
पता :

15.2 आवेदक का शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीउम्र..... जाति.....
निवासी..... व्यवसाय..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

- मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 व संशोधित अधिसूचना 29 जुलाई, 2011 एवं इस विज्ञापित में दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ।
- मैं निरुत्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (ड) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ-पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
- मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
- किसी गलती या विवाद की स्थिति में, मैं अपना प्रतिवेदन निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। 30 दिन तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के बाद ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
- मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- मैं इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड है। मात्र इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

स्वसत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीउम्र..... जाति..... निवासी.....
व्यवसाय..... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ-पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

मोबाईल नम्बर :

15.3 आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची

सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों से अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र, घोषणा-पत्र तथा शपथ-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ जमा करवाई जाएंगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जायेगी।

क्र. सं.	दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	मूल आवेदन-पत्र	
2	घोषणा-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
5	सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
6	स्नातक/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	बीएसटीसी/समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।	
9	जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित क्षेत्र जनजाति) की प्रमाणित प्रति।	
10	शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति) (Under Clause (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995)	
11	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ-पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति व पुर्नविवाह नहीं किया है का शपथ-पत्र	
12	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति व पुर्नविवाह नहीं किया है का शपथ-पत्र	
13	REET-2011 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको से उत्तीर्ण की है तो।)	
14	REET-2012 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
15	REET 2015 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
16	REET 2017 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
कुल संलग्नकों की संख्या		

अभ्यर्थियों के दिशा निर्देशों हेतु हैल्य-लाइन तथा ई-मेल की सुविधा :


अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे के मध्य, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं अथवा हैल्पलाईन नं. 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा विभागीय वेब साईट पर समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018
विज्ञापन संख्या 02/2018

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) हेतु अध्यापक लेवल-प्रथम के विज्ञापित पदों का विवरण

क्र.सं.	जिला	विज्ञापित पद		
		सामान्य शिक्षक लेवल-1	विशेष शिक्षक लेवल-1	योग
1	2	3	4	5
1	BANSWARA	1270	30	1300
2	DUNGARPUR	1304	16	1320
3	PRATAPGARH	868	10	878
4	SIROHI	119	6	125
5	UDAIPUR	1870	10	1880
	Total	5431	72	5503


निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर